न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

R 3227-II/15

1. गजाधर तनय जीवन बढई
2. गंगाधर तनय जीवन बढई
3. रामभरोसे तनय जीवन बढई

निवासी ग्राम रमपुरा तह. व जिला छतरपुर ....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

1. रहीम खां तनय रमजान खां
2. उम्मेद खां तनय रमजान खां
3. बसीर खां तनय रमजान खां
4. मुस. बरकत बानो बेवा रमजान खां

निवासी ग्राम मातगुवां तह. व जिला छतरपुर ......अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार मंडल ईशानगर तह. व जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/9/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :—

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रमपुरा स्थित भूमि खसरा क्र 865,892 रकवा क्रमशः 3.654 व 0,247 हे भूमि निगरानीकर्तागण के पूर्वजों की भूमि जो कि राजस्व अभिलेख में म.प्र.भू राजस्व संहिता लागू होने से लगातार निगरानीकर्तागण के पूर्वजों व वर्तमान मे निगरानीकर्तागण के नाम पर दर्ज है। अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूमि वर्ष 1958—59 में उनके बाबा के नाम पर दर्ज भूमि थी जिस कारण से राजस्व अभिलेख सुधार किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि पर उनका नाम दर्ज किया जावे, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार मंडल ईशानगर द्वारा विधि विपरीत रूप से प्रकरण पंजीबद्व कर निगरानीकर्तागण को आहूत किया गया तथा निगरानीकर्तागण द्वारा उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाव प्रस्तुत कर अपत्ति प्रस्तुत की गयी

जिला- छतरपुर

गजाधर — रहीम खाँ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
22-9-15	प्रकरण में आवेदक अभि० के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 10-9-15 की प्रमाणित प्रति का परिशीलन किया गया। इस आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही फिलहाल मात्र प्रक्रियागत है। उसमें निगरानीकार पक्ष के हित वर्तमान में प्रभावित नहीं हुए हैं, तथा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में अनुचित रूप से प्रभावित हो जावेंगे। निगरानीकार पक्ष को अधीनस्थ न्याया० के समक्ष अपने पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। इस आधार पर यह निगरानी इसी स्तर पर खारिज कर समाप्त की जाती है। प्रकरण दा०खि० हो। सदस्य	23/9